



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 21 राँची, बुधवार 15 आश्विन, 1942 (श०)
7 अक्टूबर, 2020 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 149-170

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना**09 जून, 2020 ई०।**

सं०-14/ए०-27/2019 - 1991/ श्री मृत्युंजय किशोर मित्तु, भा०पु०से० सम्प्रति सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक को अधिसूचना संख्या 2247 दिनांक-24.06.2005 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा संकल्प संख्या- 2258 दिनांक-24.06.2005 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

अधिसूचना संख्या-650 दिनांक-17.02.2006 के द्वारा श्री मित्तु को निलंबन मुक्त किया गया तथा अधिसूचना संख्या-1122 दिनांक-03.04.2007 के माध्यम से निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया।

(i) निन्दन

(ii) निलंबन अवधि में केवल जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा यद्यपि इस अवधि की गणना पेंशन आदि प्रयोजनों के लिए की जाएगी।

उक्त आदेश के विरुद्ध श्री मित्तु द्वारा दायर अपील आवेदन को अधिसूचना संख्या- 3966 दिनांक- 27.09.2008 के द्वारा अस्वीकृत किया गया।

2. इसी संदर्भ में WP (S) No.-5509/2008 मृत्युंजय किशोर मित्तु बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य मामले में पारित न्यायादेश के आलोक में अधिसूचना संख्या-1122 दिनांक-03.04.2007 एवं अधिसूचना संख्या- 3966 दिनांक-27.09.2008 के द्वारा निर्गत आदेश को निरस्त किया जाता है।

3. उपर्युक्त आदेश में सक्षम प्राधिकार माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूनम प्रभा पूर्ति

सरकार के संयुक्त सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

12 सितम्बर, 2020 ई०।

13/पी1-102/2020- 3334/सी०, श्री अजय लिण्डा, भा०पु०से० (2008) पुलिस अधीक्षक, पलामू को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, प० सिंहभूम, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. 13/पी1-102/2020- 3335/सी०, श्री दीपक कुमार सिन्हा, भा०पु०से० (2008) पुलिस अधीक्षक, रेल, धनबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री सिन्हा, भा०पु०से० अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, आई०आर०बी०-01, जामताड़ा के प्रभार में रहेंगे।

3. 13/पी1-102/2020- 3336/सी०, डा शम्स तब्रेज, भा०पु०से० (2008) ए०आई०जी०-सह- स्पेशल असिस्टेंट टू डी०जी०पी०, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

4. 13/पी1-102/2020- 3337/सी०, श्री इन्द्रजीत महथा, भा०पु०से० (2009) पुलिस अधीक्षक, प० सिंहभूम, चाईबासा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समादेष्टा, झा०स०पु०-02, टाटीसिलवे, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

5. 13/पी1-102/2020- 3338/सी०, श्री संजय रंजन सिंह, भा०पु०से० (2009) समादेष्टा, झा०स०पु०-02, टाटीसिलवे, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समादेष्टा, आई०आर०बी०-02, चाईबासा, कैम्प-मुसाबनी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

6. 13/पी1-102/2020- 3339/सी०, श्री संजीव कुमार, भा०पु०से० (2009) पुलिस अधीक्षक, सिमडेगा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

7. 13/पी1-102/2020- 3340/सी०, सुश्री कुसुम पुनिया, भा०पु०से० (2010) समादेष्टा, झा०स०पु०-10, होटवार, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

8. 13/पी1-102/2020- 3341/सी०, श्रीमती संध्या रानी मेहता, भा०पु०से० (2010) पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समादेष्टा, झा०स०पु०-10, होटवार, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

9. 13/पी1-102/2020- 3342/सी०, श्री अश्विनी कुमार सिन्हा, भा०पु०से० (2010) पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
10. 13/पी1-102/2020- 3343/सी०, श्री अंशुमन कुमार, भा०पु०से० (2013) पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा (अतिरिक्त प्रभार-समादेष्टा, आई०आर०बी०-01, जामताड़ा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समादेष्टा, झा०स०पु०-6, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
11. 13/पी1-102/2020- 3344/सी०, श्री पीयूष पाण्डेय, भा०पु०से० (2014) पुलिस अधीक्षक, देवघर, को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, जंगल वारफेयर स्कूल, नेतरहाट के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

26 जून, 2020 ई०।

संख्या-13/एल०-112/2015- 2276 /विभागीय अधिसूचना संख्या-1177, दिनांक-28.02.2019 को रद्द करते हुए श्री कुलद्वीप द्विवेदी, भा०पु०से०, तत्कालीन पुलिस उप-महानिरीक्षक, सिंहभूम (कोल्हान) क्षेत्र, चाईबासा सम्प्रति पुलिस उप-महानिरीक्षक, झारखण्ड जगुआर (एस०टी०एफ०), राँची को दिनांक-02.01.2019 से 08.01.2019 तक उपभोग किये गये आकस्मिक/अनुमति अवकाश को प्रत्यावर्तित करते हुए उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 जुलाई, 2020 ई०।

संख्या-13/आई०पी०एस०-106/2020- 2348/ विभागीय अधिसूचना संख्या-843, दिनांक- 17.02.2020 को निरस्त करते हुए श्री धनंजय कुमार सिंह, भा०पु०से०, पुलिस अधीक्षक (एस०आई०बी०), विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची द्वारा उपभोगित दिनांक- 18.02.2020 से 07.03.2020 तक कुल-19 (उन्नीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा

सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

02 जुलाई, 2020 ई०।

13/पी०-8003/2013- 2353/ सी०, श्री आर०के० मल्लिक, भा०पु०से० (1992) अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. 13/पी०-8003/2013- 2354/ सी०, श्री अनीष गुप्ता, भा०पु०से० (2008) वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक समादेष्टा, झा०स०पु०-01, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

3. 13/पी०-8003/2013- 2355/ सी०, श्रीमती शिवानी तिवारी, भा०पु०से० (2011) समादेष्टा, झा०स०पु०-01, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा

सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

31 जुलाई, 2020 ई०।

संख्या-11/स्था० राज०-33/2017- 2737 /श्री भगीरथ कार्जी, काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, दुमका (गुह जिला-राँची) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक प्राचार्य, कारा प्रशिक्षण संस्थान, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. संख्या-11/स्था० राज०-33/2017- 2738 /श्री सत्येन्द्र चौधरी, काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर (गुह जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

3. संख्या-11/स्था० राज०-33/2017- 2739 /श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह, काराधीक्षक, मंडल कारा, चास (बोकारो) (गुह जिला-छपरा, बिहार) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री सिंह अपने कार्यों के साथ काराधीक्षक, मंडल कारा, साकची, जमशेदपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार

सरकार के संयुक्त सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

23 सितम्बर, 2020 ई०।

संख्या-6/अभि०-22/01/2010- 3219 /विभागीय अधिसूचना संख्या-1894, दिनांक 18.06.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न रूप से तीन सदस्यीय प्राधिकार समिति का पुनर्गठन किया जाता है :-

1.	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रतिनिधि।	श्री सतीश कुमार, संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।
2.	अभियोजन निदेशालय के प्रतिनिधि।	श्री आनन्द कुमार लकड़ा, उप निदेशक, अभियोजन निदेशालय, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।
3.	विधि विभाग के प्रतिनिधि।	श्री रेमी प्रफूला बाः, विधि पदाधिकारी, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

2. श्री सतीश कुमार, संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची प्राधिकार समिति के अध्यक्ष होंगे।

3. श्री आनन्द कुमार लकड़ा, उप निदेशक प्राधिकार समिति के सदस्य सचिव होंगे।

4. श्री सतीश कुमार की अनुपस्थिति में श्री आनन्द कुमार लकड़ा, उप निदेशक प्राधिकार समिति के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार

सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

03 सितम्बर, 2020 ई०।

13/पी₁-102/2020- 3220/सी०, श्री असीम विक्रान्त मिंज, भा०पु०से० (2005) पुलिस उप-महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री मिंज, भा०पु०से० के पदस्थापन अवधि तक के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद के पद को पुलिस उप-महानिरीक्षक कोटि के वेतनमान-पे-मैट्रिक्स के लेवल-13A में उत्क्रमित किया जाता है।

2. 13/पी₁-102/2020- 3221/सी०, श्री अखिलेश बी० वारियार, भा०पु०से० (2012) वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, अभियान (नक्सल), पुलिस मुख्यालय, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा

सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 सितम्बर, 2020 ई०।

संख्या-11/कारा विविध-10/2020- 3487 /श्री कुमार चन्द्रशेखर, काराधीक्षक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग (गृह जिला-पलामू), अतिरिक्त प्रभार-खुला जेल-सह-पुनर्वास कैम्प, हजारीबाग अपने कार्यों के साथ उपकारा, बरही के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार

सरकार के संयुक्त सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।**अधिसूचना****25 सितम्बर, 2020 ई०।**

संख्या-13/पी₂-103/2019- 3537 /भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-45020/11/97-आई०पी०एस०-II, दिनांक-15.01.1999 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-2296, दिनांक-04.09.2001 में निहित प्रावधान के आलोक में पुलिस महानिदेशक कोटि में प्रोन्नति हेतु गठित प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में श्री एल० खियांगते, भा०प्र०से०, महानिदेशक, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची को नामित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह

सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

09 सितम्बर, 2020

सं०सं०-3/नि०सं०-09-07/2020 का० 4477/श्री संजीव कुमार लाल, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच), माननीय मंत्री के आप्त सचिव, संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को दिनांक 19.02.2020 एवं 04.03.2020 को असाधारण अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 180 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन

सरकार के संयुक्त सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

13 अगस्त, 2020

संख्या- 3/नि०सं०-09-44/2015 का० 3955/श्री सुरेश कुमार दुदानी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 581/2003), विशेष सचिव, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

- | | | |
|--|----|---|
| (क) दिनांक 14.02.2020 से 03.04.2020 तक
(50 दिन) | :- | रूपांतरित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 234 के तहत |
| (ख) दिनांक 20.04.2020 से 17.05.2020 तक
(28 दिन) | :- | उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन

सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

19 अगस्त, 2020

सं०सं०-03/नि०सं०-09-12/2020 का० 4028/ श्री रौशन कुमार साह, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच), कार्यपालक दण्डाधिकारी, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर, चाईबासा को दिनांक 27.01.2020 से 14.04.2020 तक (कुल 79 दिन) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह

सरकार के उप सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

20 अगस्त, 2020

संख्या-4/नि०सं०-12-29/2017 का०- 4036/श्रीमती तृप्ति विजया कुजूर, झा०प्र०से० (पंचम बैच, गृह जिला-राँची) अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर, प० सिंहभूम को अवकाश की स्वीकृति निम्न रूपेण प्रदान की जाती है:-

- | | |
|---|---|
| (i) दिनांक 01.08.2018 से 27.01.2019 तक
(कुल-180 दिन) | मातृत्व अवकाश के रूप में वित्त विभाग झारखण्ड के संकल्प जापांक-551 दिनांक 01.03.2007 सहपठित संकल्प सं०- 907 दिनांक 01.07.2010 के आलोक में। |
| (ii) दिनांक 28.01.2019 से 05.03.2019 तक
(कुल-37 दिन) | उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत |

(iii) दि० 06.03.2019 से 14.04.2019 तक (कुल-40 दिन)	अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के तहत।
(iv) दि० 15.04.2019 से 30.06.2019 तक (कुल-77 दिन)	असाधारण अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह
सरकार के उप सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

27 अगस्त, 2020

सं०सं०-3/नि०सं०-09-05/2016 का०-4143/ श्रीमती इन्दु गुप्ता, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-774/2003), अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की प्रभार रहित अवधि दिनांक 03.04.2020 से 07.06.2020 तक कुल 66 (छियासठ) दिन उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह
सरकार के उप सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

1 सितम्बर, 2020

संख्या-4/नि०सं०-12-40/2014 का०-4273/ श्रीमती सुषमा लकड़ा, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-सिमडेगा) कार्यपालक दण्डाधिकारी, जगन्नाथपुर, प० सिंहभूम को दिनांक 03.09.2019 से 28.02.2020 तक कुल 179 दिनों के द्वितीय मातृत्व अवकाश की स्वीकृति वित्त विभागीय संकल्प संख्या-997 दिनांक 01.07.2010 तथा संकल्प संख्या-551 दिनांक 01.03.2007 के आलोक में प्रदान की जाती है।

2. पूर्व में विभागीय अधिसूचना सं० 1899 दिनांक 25.02.2014 द्वारा श्रीमती लकड़ा के दिनांक 01.11.2011 से दिनांक 27.04.2012 तक के प्रथम मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

25 अगस्त, 2020

संख्या-3/से०वि०-04-24/2014 का० 4093/श्रीमती उषा किरण बाखला, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-502/2003), सेवानिवृत्त उप निदेशक, पंचायती राज, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची के संबंध में निम्नांकित प्रभार रहित अवधियों के देय/अदेय/असाधारण अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदित किया गया है-

(1) दिनांक 09.11.1995 से 05.06.1996 (2) दिनांक 07.01.1999 से 13.07.1999 (3) दिनांक 13.12.2001 से 01.07.2003 (4) दिनांक 10.05.2008 से 05.11.2008 (5) दिनांक 06.11.2008 से 17.02.2009 (6) दिनांक 15.10.2010 से 09.11.2010 (7) दिनांक 01.04.2012 से 21.06.2012 (8) दिनांक 18.07.2013 से 07.10.2013 ।

उक्त अवकाश की स्वीकृति के क्रम में योजना-सह-वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-240/दा0को0, दिनांक-10.07.2020 द्वारा प्रतिवेदित श्रीमती उषा किरण बाखला, से0नि0 झा0प्र0से0 द्वारा विभिन्न प्रभार रहित अवधि के मध्य कार्यरत अवधि में अर्जित उपार्जित/अर्द्धवैतनिक अवकाश देयता प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती बाखला को निम्नरूपेण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

I. उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत

(i) दिनांक 09.11.1995 से 05.06.1996 तक	210 दिन
(ii) दिनांक 07.01.1999 से 29.04.1999 तक	113 दिन
(iii) दिनांक 13.12.2001 से 02.03.2002 तक	80 दिन
(iv) दिनांक 10.05.2008 से 17.10.2008 तक	161 दिन
(v) दिनांक 15.10.2010 से 09.11.2010 तक	26 दिन
(vi) दिनांक 01.04.2012 से 14.06.2012 तक	75 दिन
(vii) दिनांक 18.07.2013 से 21.08.2013 तक	35 दिन

II. अर्द्धवैतनिक अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के तहत

(i) दिनांक 30.04.1999 से 13.07.1999 तक	75 दिन
(ii) दिनांक 03.03.2002 से 12.05.2002 तक	71 दिन
(iii) दिनांक 18.10.2008 से 05.11.2008 तक	19 दिन
(iv) दिनांक 06.11.2008 से 15.12.2008 तक	40 दिन
(v) दिनांक 15.06.2012 से 21.06.2012 तक	07 दिन
(vi) दिनांक 22.08.2013 से 03.10.2013 तक	43 दिन

III. असाधारण अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत

(i) दिनांक 13.05.2002 से 01.07.2003 तक	415 दिन
(ii) दिनांक 16.12.2008 से 17.02.2009 तक	64 दिन
(iii) दिनांक 04.10.2013 से 07.10.2013 तक	04 दिन

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

सुधीर कुमार रंजन
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

26 अगस्त, 2020

सं०सं०-4/नि०सं०-12-01/2018 का०-4128/ श्रीमती नम्रता जोशी, झा०प्र०से० (पंचम बैच), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बुढमू, राँची द्वारा दिनांक 01.10.2019 से 31.12.2019 तक (कुल 92 दिन) उपभोग किये गये अवकाश को वित्त विभाग के संकल्प सं०-551 दिनांक 01.03.2007 एवं 907 दिनांक 01.07.2010 के तहत मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह

सरकार के उप सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

8 सितम्बर, 2020

संख्या- 04/नि०सं०-12-05/2014 का. 4454/ श्रीमती श्वेता वेद, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला- भागलपुर, बिहार), कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची को दिनांक 05.11.2018 से 08.11.2018 तक (कुल 04 दिन) असाधारण अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 180 (ख) टिप्पणी (2) के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह

सरकार के उप सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2020

सं०सं०-3/नि०सं०-09-14/2014 का० 4924/ श्री सुरेन्द्र कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-846/2003), अपर समाहर्ता, जामताड़ा को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत (I) दिनांक 17.02.2016 से 27.02.2016 तक (11 दिन) एवं (II) दिनांक 05.12.2016 से 20.01.2017 तक (47 दिन) उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन

सरकार के संयुक्त सचिव ।

HIGH COURT OF JHARKHAND

NOTIFICATION**THE 14th September , 2020**

No. 137 A: Earned Leave of 11 days for the period from 20.11.2019 to 30.11.2019 suffixing 01.12.2019 being Sunday is granted to Sri Raj Kumar Mishra, District & Additional Sessions Judge-II, Dhanbad under Rule 227 of the Jharkhand Service Code, 2001.

By order of the Court

Jitendra Prasad Singh
Registrar (Administration)

HIGH COURT OF JHARKHAND

NOTIFICATION**The 17th September, 2020**

No. 141 A: Sanction is accorded in favour of Sri Pankaj Kumar No. II, District & Additional Sessions Judge-I, Palamau at Daltonganj for encashment of $(30+30+30+18+30+30+30+30+30+30) = 288$ days unutilized earned leave equivalent to 288 days leave salary under Rule (s) 227, 228 & 240 (c) of the Jharkhand Service Code, 2001 and in terms of Proviso IX of the State Government Resolution No.6/Est. Vividh 7/2006 Ka 4598/Ranchi dated 29th August, 2006 for the block years as mentioned in the table below:-

Sl.No.	Block Year	Unutilized Earned leave
1.	01.11.1999 to 31.10.2001	30 days
2.	01.11.2001 to 31.10.2003	30 days
3.	01.11.2003 to 31.10.2005	30 days
4.	01.11.2005 to 31.10.2007	18 days
5.	01.11.2007 to 31.10.2009	30 days
6.	01.11.2009 to 31.10.2011	30 days
7.	01.11.2011 to 31.10.2013	30 days
8.	01.11.2013 to 31.10.2015	30 days
9.	01.11.2015 to 31.10.2017	30 days
10.	01.11.2017 to 31.10.2019	30 days
	Total	288 days

By order of the Court

Jitendra Prasad Singh
Registrar (Administration)

HIGH COURT OF JHARKHAND

NOTIFICATION**The 23rd September, 2020**

No. **142** A: Earned Leave of 19 days for the period from 22.03.2020 to 09.04.2020, suffixing 10th to 14th April, 2020 being holidays is granted to Sri Ravindra Kumar, Principal Judge, Family Court, Lohardaga under Rule 227 of the Jharkhand Service Code, 2001.

By order of the Court

Jitendra Prasad Singh
Registrar (Administration)

HIGH COURT OF JHARKHAND

NOTIFICATION**The 23rd September, 2020**

No. **143** A: Sanction is accorded in favour of Sri Gautam Kumar, Judge-In-Charge-cum-J.M.1st Class, Godda for encashment of (30+30) = 60 days unutilized earned leave equivalent to two month's leave salary admissible for the block years commencing from 13.07.2015 to 12.07.2017 & 13.07.2017 to 12.07.2019 under Rule(s) 227, 228 & 240 (c) of the Jharkhand Service Code, 2001 and in terms of Proviso IX of the State Government Resolution No.6/Est. Vividh 7/2006 Ka 4598/Ranchi dated 29th August, 2006.

By order of the Court

Jitendra Prasad Singh
Registrar (Administration)

HIGH COURT OF JHARKHAND

NOTIFICATION

The 25th September, 2020

No. **144** A: Earned Leave of 07 days for the period from 18.02.2019 to 24.02.2019 prefixing 17.02.2019 being Sunday is granted to Smt. Swati Vijay Upadhyay, J.M. 1st Class-cum-Addl.Civil Judge (Jr.div.), Dhanbad under Rule 228 of the Jharkhand Service Code, 2001.

By order of the Court

Jitendra Prasad Singh
Registrar (Administration)

HIGH COURT OF JHARKHAND

NOTIFICATION

The 25th September, 2020

No. **145** A: Earned Leave of 09 days for the period from 26.06.2020 to 04.07.2020 suffixing 05.07.2020 being Sunday is granted to Sri Narendra Kumar, J.M.1st Class, Madhupur (Deoghar) under Rule 228 of the Jharkhand Service Code, 2001.

By order of the Court

Jitendra Prasad Singh
Registrar (Administration)

HIGH COURT OF JHARKHAND

NOTIFICATION**The 25th September, 2020**

No. 146 A: Earned Leave of 06 days for the period from 04.04.2020 to 09.04.2020 is granted to Sri Ravi Ranjan, District & Additional Sessions Judge-IV-cum Spl. Judge C.B.I, Dhanbad under Rule 227 of the Jharkhand Service Code, 2001.

By order of the Court

Jitendra Prasad Singh
Registrar (Administration)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

23 सितम्बर, 2020

संख्या-2/राज. स्था. शक्ति प्रदत्त - 03/2017-2515(02)/रा.,--उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-377/भू.अ., दिनांक-09.09.2019 के आलोक में श्री मनीष कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा को उनके कार्यों के अतिरिक्त जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कोडरमा के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ("The Right to fair compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act-2013") की धारा 3(g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।

उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अभिषेक श्रीवास्तव
सरकार के संयुक्त सचिव